

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
राँची, जामताड़ा, गुमला, हजारीबाग, गिरिडीह, पाकुड़, देवघर,
प0 सिंहभूम, गोड्डा, दुमका, खूँटी, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद एवं बोकारो।
राँची, दिनांक-30-07-2025

विषय:- स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2053-जिला प्रशासन, लघुशीर्ष-094-अन्य
स्थापनाएँ, उपशीर्ष-05-प्रक्रियापालक स्थापना के अंतर्गत वित्तीय
वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु कार्यालयवार वेतन इकाई में कुल
₹1,98,80,000/- (एक करोड़ अन्तानवे लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र
का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपायुक्त, गिरिडीह के
पत्रांक-438/स्था0, दिनांक-23.05.2025, उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-457,
दिनांक-28.06.2025, उपायुक्त, दुमका के पत्रांक-497, दिनांक-09.07.2025, उपायुक्त,
पाकुड़ के पत्रांक-930, दिनांक-01.07.2025, उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-401/स्था.,
दिनांक-19.06.2025 एवं उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-624/स्था0, दिनांक-16.06.2025 से
प्राप्त अधियाचना एवं अगले चार माह के वेतन निकासी हेतु कार्यालयवार विभिन्न इकाईयों
में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹1,98,80,000/- (एक करोड़ अन्तानवे लाख अस्सी
हजार रूपये) मात्र का आवंटन दिया जाता है।

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिले के संबंधित डी0डी0ओ0 कोड में दिया
गया है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998,
322/वि., दिनांक-28.01.2002, 1800/वि., दिनांक-15.07.2003 एवं 338/बजट,
दिनांक-28.03.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में
वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर
निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित)
के लिए भी निकासी की जायेगी।



कृ०पृ०उ०

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।
6. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या-40 के अतिरिक्त इकाईवार विपत्र कोड का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
8. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।
9. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-15.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय।
10. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

Shree
29/7

(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 49/3110 राँची, दिनांक- 30-07-2025
प्रतिलिपि :-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/जिला कोषागार पदाधिकारी, राँची, जामताड़ा, गुमला, हजारीबाग, गिरिडीह, पाकुड़, देवघर, प0 सिंहभूम, गोड्डा, दुमका, खूँटी, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद एवं बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Shree
29/7/25

सरकार के सचिव।

Shree

10/स्था0 व्यय आ0-19/2025.....^{49/3110}रा., राँची, दिनांक-³⁰⁻⁰⁷⁻²⁰²⁵
 स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2053-जिला प्रशासन, लघुशीर्ष-094-अन्य स्थापनाएँ, उपशीर्ष-05-
 प्रक्रियापालक स्थापना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि का आवंटन विवरणी -

| क्र. | कार्यालय | DDO Code | वेतन | देशीय यात्रा भत्ता | कार्यालय व्यय | वर्दी | कुल |
|---------|---------------------------------------|------------|----------|-----------------------|------------------|--------|----------|
| 1 | उपायुक्त, राँची | RNCDAD 002 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 |
| 2 | उपायुक्त, जामताड़ा | JMTDAD 007 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 |
| 3 | उपायुक्त, गुमला | GMLDAD 002 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |
| 4 | उपायुक्त, हजारीबाग | HZBDAD 011 | 3000000 | 0 | 30000 | 30000 | 3060000 |
| 5 | उपायुक्त, गिरिडीह | GRDDAD 026 | 1500000 | 0 | 100000 | 0 | 1600000 |
| 6 | उपायुक्त, पाकुड़ | PKRDADA 01 | 1000000 | 50000 | 50000 | 20000 | 1120000 |
| 7 | उपायुक्त, देवघर | DGRDADA 94 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 600000 |
| 8 | उपायुक्त, प0 सिंहभूम, चाईबासा | SGHDAD 017 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 |
| 9 | उपायुक्त, गोड्डा | GDDDAD 020 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 |
| 10 | उपायुक्त, दुमका | DMKDAD 012 | 2500000 | 0 | 0 | 41000 | 2541000 |
| 11 | उपायुक्त, खूंटी | KHNDADK 01 | 2000000 | 0 | 0 | 25000 | 2025000 |
| 12 | उपायुक्त, चतरा | CTRDAD 004 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 |
| 13 | उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर | JSRDAD 001 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 |
| 14 | उपायुक्त, धनबाद | DHNDAD 001 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 |
| 15 | उपायुक्त, बोकारो | BKRDAD 004 | 200000 | 0 | 0 | 19000 | 219000 |
| कुल योग | | | 19500000 | 50000 | 180000 | 150000 | 19880000 |

Shu.
29/7/25

(चन्द्रशेखर)

सचिव

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,

झारखण्ड, राँची।